E-mail

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
संख्याः18/ए–1(124)–2013 दिनांकः मई 22 ,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग,उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में **"फुलप्रूफ सिस्टम"** को लागू किया जाना।

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः18/ए–1(124)–2013 दिनांकः16–11–2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि शासनादेश संख्याः7/6–पु0–10–09 दिनांकः17–02–2009 में निहित निर्देशानुसार पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों में मृतक आश्रितों की भर्ती "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974" के नियम–8(2) के अनुसार पूर्व की भाँति नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा ही की जायेगी।

2– प्रकरण में यह तथ्य भी संज्ञान में लाना है कि विगत् वर्षों से कतिपय मृतक आश्रितों को सेवायोजन दिये जाने के फर्जी मामले प्रकाश में आने एवं रिट याचिका संख्याः11505/2006 अवनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्याः146/6–पु0–10/2008–1200(173)/07, दिनांकः24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली–1974 के अन्तर्गत चयन प्रकिया को और अधिक फुलप्रूफ बनाये जाने एवं हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3– उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 18/ए–1(05)2008 दिनांकः24–02–2008 द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार वर्ष 2008 से अब तक मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही की जाती रही है।

4– अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के निम्न शाखा/संगठनो द्वारा निम्न पदों, पर स्वतन्त्र रूप से मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही की जाती है जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	संवर्ग का नाम	पदों की समकक्षता जिसके समक्ष संवर्गो द्वारा स्वयं सीधी भर्ती की जाती है।				
		उ0नि0	कान्स0 ना0पु0	चतुर्थ श्रेणी	एएसआई(एम)	एसआई(एम)/ आशु0
1	2	3	4	5	6	7
1	पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद	उ0नि0	आरक्षी ना0पु0	चतुर्थ श्रेणी	एएसआई(एम)लिपिक (वर्तमान में शासनादेश संख्याः08–05–2006 के कम में लिपिक संवर्ग पर नियुक्ति की प्रकिया स्थगित है।)	एसआई(एम)/ आशु0
2	सी0बी0 सी0आई0डी0	–	–	चतुर्थ श्रेणी	"	एसआई(एम)/ आशु0
3	सतर्कता अधिष्ठान	–	–	चतुर्थ श्रेणी	"	एसआई(एम)/ आशु0
4	पीएसी मुख्यालय	–	आरक्षी	चतुर्थ श्रेणी	"	–
5	रेडियो मुख्यालय	–	सहायक परिचालक	संदेश वाहक	"	–

....2

6	अभिसूचना मुख्यालय	—	—	चतुर्थ श्रेणी	"	एसआई(एम)/आशु0
7	अग्निशमन मुख्यालय	—	फायरमैन	चतुर्थ श्रेणी	"	—
8	राजकीय रेलवे पुलिस	—	—	चतुर्थ श्रेणी	"	एसआई(एम)/आशु0

5— प्रायः यह देखा जा रहा है कि इकाइयों में मृत कर्मियों के आश्रित इकाई में उपलब्ध पद की रिक्ति के समक्ष सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र न देकर अपनी स्वेच्छानुसार इच्छित पद पर सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं। सेवा हेतु उपयुक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिक्तियों के दृष्टिगत और सम्बन्धित इकाई में ही ऐसा सोवायोजन यथासम्भव नियमानुसार किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित को अधिकार नहीं है कि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिये दावा कर सके। यदि मृतक आश्रित पद विशेष पर नियुक्ति का अनुरोध या दावा करता भी है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध/दावे को मानने के लिये बाध्य नहीं है। उसे नियमावली में प्राविधानों के विहित शर्तों को पूरा करने पर उपयुक्त पद पर सेवायोजन प्रदान करने का निर्णय ले लेना चाहिये। यदि आश्रित द्वारा नियुक्ति का आफर नहीं स्वीकार किया जाता है तो नियमों में आगे कोई बाध्यता नहीं रह जाती है। उदाहरणस्वरूप—पी0ए0सी0 वाहिनियों द्वारा मृतक आश्रितों को उपनिरीक्षक के पद पर सेवायोजन हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाते हैं जबकि इसके समकक्ष प्लाटून कमाण्डर का पद उनकी वाहिनी में उपलब्ध हैं। इस पद पर उनके द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी प्रकार फायर सर्विस में भी मृत कर्मियों के आश्रितों का उपनिरीक्षक के पद पर सेवायोजन हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है जबकि फायर सर्विस में इसके समकक्ष एफएसएसओ का पद उपलब्ध है। इस पद पर उनके द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है जबकि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः6/12/73—का0—2—1994 दिनांकः 21—04—1994 द्वारा जारी नियमावली के नियम—5(2) में यह व्यवस्था निहित है कि **"ऐसा सेवायोजन, यथासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।"**

6— अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी/कान्स0/एस0आई0(एम)/आशुलिपिक एवं उपनिरीक्षक के पद पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही निम्न प्रकार से की जायेगीः—

चतुर्थ श्रेणी

अजनपदीय शाखाः—

अवगत कराना है कि सी0बी0सी0आई0डी0, सतर्कता अधिष्ठान, पी0ए0सी0 मुख्यालय, रेडियो मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, अग्नि शमन मुख्यालय, रेलवे मुख्यालय, तकनीकी/ट्रेनिंग/एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0/विशेष जॉच एवं पुलिस मुख्यालय आदि द्वारा अपने अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्व की भॉति ही की जायेगी। रिक्तियों की गणना सम्बन्धित मुख्यालयों द्वारा आगामी 06 माह की सम्भावित रिक्तियों को जोड़कर की जायेगी। यदि चतुर्थ श्रेणी पद पर रिक्ति नहीं है तो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध करायेंगे। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद उक्त प्रस्ताव को रिक्ति के निकटतम जनपद को अग्रसारित करेगा।

जनपदीय शाखाः—

जनपदीय पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी एवं वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति किये जाने से पूर्व रिक्तियों की गणना आगामी 06 माह की सम्भावित रिक्तियों को जोड़कर की जायेगी। यदि चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनके जनपद में रिक्ति नहीं है तो वे प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध करायेंगे। पुलिस मुख्यालय उक्त प्रस्ताव को रिक्ति के निकटतम जनपद को अग्रसारित करेगा।

7–आरक्षी:–

मृतक आश्रितों के आरक्षी के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व की भॉति पुलिस मुख्यालय/पी0ए0सी0 मुख्यालय के अधीन जनपद/वाहिनियों द्वारा की जायेगी। मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही से पूर्व जनपद/वाहिनी प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षी पद की रिक्ति है अथवा नहीं। **जनपद/वाहिनी प्रभारी द्वारा रिक्तियों की गणना आगामी 06 माह की सम्भावित रिक्तियों को जोड़कर की जायेगी।** यदि आरक्षी के पद पर रिक्ति नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद/पी0ए0सी0 मुख्यालय को प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद/पी0ए0सी0 मुख्यालय उक्त प्रस्ताव को रिक्ति के जनपद/वाहिनी को अग्रसारित करेंगे। तद्नुसार जनपद/वाहिनी के प्रभारी सेवायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस विभाग की ऐसी अजनपदीय शाखायें जहॉ पर आरक्षी के पद पर उनके द्वारा सीधी भर्ती नहीं की जाती है तो उन अजनपदीय शाखाओं **(यथा–सीबीसीआईडी, अभिसूचना विभाग, राजकीय रेलवे पुलिस, सतर्कता अधिष्ठान इत्यादि)** द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को आरक्षी पद का प्रस्ताव तैयार करके नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद विभिन्न शाखाओं की रिक्तियों के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव को मृतक पुलिसकर्मी के नियुक्ति के स्थान के निकटतम रिक्ति के जनपद को अग्रसारित करेगा।

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि मृतक आश्रित सेवायोजन के किसी प्रकरण में रिक्ति की कोई समस्या होती है तो उससे पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को अवगत कराया जायेगा।

आरक्षी की भर्ती वर्ष में दो बार (माह फरवरी एवं सितम्बर में) की जायेगी।

8–एस0आई0(एम)/आशुलिपिक:–

अवगत कराना है कि पी0ए0सी0 मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/अग्नि शमन मुख्यालय/जनपदीय पुलिस/वाहिनी के अधीन एस0आई0(एम)/आशुलिपिक के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्व से की जा रही है। अतः एस0आई0(एम)/आशुलिपिक के पद का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार करके पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा, तदोपरान्त पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद रिक्तियों के सापेक्ष उनकी पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही कराकर अन्य औपचारिकतायें पूरी करते हुए अनुमोदन आदेश जारी करेगा तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक से नियुक्ति आदेश जारी कराना सुनिश्चित करायेगा।

9–उपनिरीक्षक ना0पु0:–

अवगत कराना है कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सेवायोजन की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा की जाती है। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के समकक्ष प्लाटून कमाण्डर का पद पी0ए0सी0 मुख्यालय में तथा फायर सर्विस मुख्यालय में उपनिरीक्षक के समकक्ष एफ0एस0एस0ओ0 का पद उपलब्ध है, अतः जहॉ तक सम्भव हो पी0ए0सी0 मुख्यालय/फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा इन पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या:6/12/73–का0–2–1994 दिनांक:21–04–1994 द्वारा जारी नियमावली के नियम–5(2) में यह व्यवस्था निहित है कि "ऐसा सेवायोजन, यथासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।"

उल्लेखनीय है कि **सी0बी0सी0आई0डी0, अभिसूचना विभाग, राजकीय रेलवे पुलिस, सतर्कता अधिष्ठान इत्यादि** में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती की कार्यवाही नहीं की जाती है। अतः इन सभी अधिष्ठानों द्वारा जनपदीय पुलिस से सम्बन्धित उपनिरीक्षक पद के सेवायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कराकर पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सीधे उपलब्ध करायेंगे, **तदोपरान्त पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद रिक्तियों के सापेक्ष उनकी पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगा।**

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि रेडियो विभाग में सहायक परिचालक/संदेश वाहक के पदों पर भर्ती की कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा की जाती है, इसी प्रकार से फायर सर्विस में फायर मैन के पदों पर भर्ती की कार्यवाही फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा की जाती है। अतएव उनके अधिष्ठानों में पूर्व की भॉति मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि इन पदों की रिक्ति है अथवा नहीं? सभी मुख्यालय अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी से नियमानुसार सेवायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

10— उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों को वहाँ तक अतिक्रमित समझा जाये, जहाँ तक इस परिपत्र से विरोधाभाषी हो। पूर्व में जो भी कार्यवाही की गयी है, इस परिपत्र से बाधित नहीं होगी।

11— मृतक आश्रितों के सेवायोजन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं समय–समय पर संशोधित उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

12— मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना–पत्र संबंधित जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर पुलिस प्रभारी अपने हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मुहर लगाकर दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। मृतक आश्रित का प्रार्थना पत्र किसी भी हालत में कार्यालय के किसी सहायक अथवा प्रधान लिपिक द्वारा नहीं लिया जायेगा।

13— मृतक आश्रितों के प्रार्थना पत्र के विवरण की प्रविष्टि एक मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर बनाकर की जायेगी जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय द्वारा अंकित की जायेगी तथा हस्ताक्षर/नाम व पदनाम की मुहर अंकित की जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि वही मानी जायेगी जिस दिनांक को सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी द्वारा मृतक आश्रित के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर के दिन अंकित किया गया है। रजिस्टर में मृतक आश्रितों का विवरण अंकित करते समय क्रमांक के कालम में कोई गैप न रहे। अधिकारी इसे समय–समय पर चेक करते रहेंगे। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगा:–

मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर का प्रारूप

क्र0सं0	आश्रित का नाम	मृतक कर्मी का नाम	मृतक कर्मी का पद	प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर का दिनांक
1	2	3	4	5	6

14— मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किये जाने हेतु एक मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का भी रख–रखाव कार्यालय द्वारा किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा:–

मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का प्रारूप

क्र0 सं0	स्व0 पुलिसकर्मी का पी0एन0ओ0 नम्बर	स्व0 पुलिसकर्मी का नाम व पद	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु का दिनांक	सेवायोजन हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	आवेदित पद	पता:– स्थायी/अस्थायी/दूरभाष नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही

15— प्रार्थना पत्र 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त होते ही वह जिस पद के लिये अर्हता रखता/रखती है और वहाँ रिक्ति उपलब्ध है, उसे अतिशीघ्र (15 दिन के अन्दर) मृतक के स्थायी पते एवं मृतक आश्रित द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से उस पद के लिये औपचारिक आफर देकर सभी वाँछित प्रपत्र प्रदान किये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित को सेवायोजन हेतु विभाग द्वारा अवसर (ऑफर) दिया गया है। प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रखें अन्यथा विभाग द्वारा आफर नहीं दिये जाने पर अभ्यर्थी अपनी नई शिक्षा प्राप्त कर नये पद पर दावा करने लगते हैं और अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। प्रत्येक दशा में प्राप्त प्रस्ताव एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध प्रतिकूल मन्तव्य बनाते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब हो रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

....5

16– सेवायोजन हेतु मृतक आश्रित के सेवायोजन के पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि मृतक आश्रित द्वारा मृत कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्रार्थना–पत्र दिया गया है तथा मॉगे गये पद हेतु सभी प्रकार से अर्ह है एवं उस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु एवं शैक्षिक अर्हता मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया हो। यदि मृतक आश्रित द्वारा मॉगे गये पद हेतु सम्पूर्ण अर्हतायें मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करता है तथा उस पद पर रिक्ति है, तो उसके सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार नियुक्ति अधिकारी के स्तर से की जायेगी।

17– यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उस कार्यालय का प्रधान (Head of office) उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम–7 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके ही प्रस्ताव तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही का विवरण

18– उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 (यथासंशोधित) के अधीन सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु जनपद/इकाई के प्रभारी 36 बिन्दुओं का प्रस्ताव तैयार करायेंगे। **चेकलिस्ट के 36 बिन्दु निम्नवत् हैं:–**

1	मृत सरकारी सेवक नाम	————————
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	————————
3	मृत सरकारी सेवक का मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	————————
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	———————— परिशिष्ट————
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	————————
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई/आकस्मिक)	————————
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण–पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	————————
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	————————
9	मृत सरकारी सेवक, मृत्यु के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर	————————
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार)तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम————————आयु नाम————————आयु नाम————————आयु
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियॉ हों तो पत्नियों के नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार)	नाम————————आयु नाम————————आयु
12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनो का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा सम्मिलित हो, से सम्बन्धित शपथ–पत्र **(प्रारूप–क)**	परिशिष्ट————

13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों के वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट——— परिशिष्ट———
14	इस आशय का प्रमाण–पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नहीं पाया गया है। पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय)	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट— पेंशन भाग दो की प्रमाणित सूची, परिशिष्ट—
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ–पत्र/सहमति जिन्हे सेवायोजन दिलाना चाहते हों, के पक्ष में **(प्रारूप–ख)**	परिशिष्ट——— परिशिष्ट——— परिशिष्ट——— परिशिष्ट———
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0 ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	——— ——— ——— परिशिष्ट———
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें।	——— ——— ——— ——— ——— ———
18	मृतक आश्रित -सेवायोजन नियमावली–1974 के अर्न्तगत इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	———
19	इस आशय का प्रमाण–पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 सपठित नियमावली–1993, 2006 के अधीन के अधीन सेवायोजन का लाभ प्रदान नही किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र **(प्रारूप–घ)**	——— परिशिष्ट———
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जॉच आख्या की मूल प्रति जिसमे मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र	परिशिष्ट——— अनुलग्नक– अनुलग्नक– अनुलग्नक–
21	मृतक आश्रित का नाम	———

22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद् अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में।	—————————— —————————— ——————————
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	——————————
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ–पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है **(प्रारूप–ग)**	परिशिष्ट——————
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना–पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण–पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थनापत्र परिशिष्ट——— परिशिष्ट——— परिशिष्ट——— ——— परिशिष्ट———
26	शैक्षिक प्रमाण–पत्रों/अंक तालिकाओ का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या	मा0शि0बोर्ड– परिशिष्ट——— विश्वविद्यालय परिशिष्ट——— जि0वि0नि0 परिशिष्ट———
27	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी।	**स्थाई पते पर** परिशिष्ट—— **अस्थाई पते पर** परिशिष्ट—— **अभि0मुख्यालय** परिशिष्ट——
28	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो छः माह से पुराना न हो	1–राजपत्रित अधिकारी का नाम——— परिशिष्ट——— 2–राजपत्रित अधिकारी का नाम——— परिशिष्ट———
29	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नाम——————————आयु
30	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय कि:– 1–यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कहीं सेवारत है ? 2–यदि पूर्व में सेवारत रहा हो ? 3–यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो ? 4–यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो ?	—————————— परिशिष्ट———
31	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण–पत्र पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)	1–प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी नाम—————————— परिशिष्ट———
32	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
33	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त किया गया प्रमाण–पत्र)	ऊँचाई | सीना फुलाने पर | सीना बिना फुलाये | |

34	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जो छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नियम–10 के अन्तर्गत प्रदत्त किया गया प्रमाण–पत्र (Certificate of fitness for Government service See Rules-10 of fundamental Rules)	————————
35	इस आशय का प्रमाण–पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" में अंकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र **(प्रारूप–च)**	स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या––– कम संख्या––– प्रमाण–पत्र परिशिष्ट————
36	इस आशय का प्रमाण–पत्र की उपरोक्त कम सं0 01 से लेकर कम संख्या–35 तक अंकित सभी प्रविष्टियो को मेरे द्वारा भॅली भाँति जॉच कर लिया गया है जो सूचनायें अंकित हैं वे सही हैं एवं आवेदक द्वारा मॉगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है।(अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तुति की जायेगी)	————————

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

19– मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण–पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। **सभी सत्यापन आख्यायें प्रस्ताव के साथ मूलरूप में संलग्न की जायेंगी जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद /इकाई की पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।**

20– उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं समय–समय पर संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थायी निवास (यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जॉच कराई जायेगी। जिसमें चेकलिस्ट के प्रारूप के बिन्दु संख्या–18 के अनुरूप स्पष्ट आख्या प्राप्त की जायेगी। जॉच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

21– उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 एवं समय–समय पर संशोधित प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व पदनाम की मुहर के साथ अंकित किया जायेगा।

22– मृतक आश्रित के सेवायोजन का प्रस्ताव इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी **(जो किसी भी परिस्थिति में निरीक्षक स्तर से कम का नहीं होगा)**, ही लेकर **सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में जाकर दाखिल करायेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी ले जायेंगे कि उन्हें सेवायोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।** प्राधिकार पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर, सम्बन्धित इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर

अवश्य ले जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी प्रस्ताव का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देंगे। **प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।**

23– प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक **मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।**

24– **मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी से सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखी जायेगी, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।**

25– **मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर कार्यालय प्रमुख का नाम व पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।**

26– कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मृतक आश्रित से सम्बन्धित सूचना मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में अंकन कराया जायेगा। मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर में मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर खोले जाने का अंकन होगा। मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में प्रत्येक मृतक आश्रित की पत्रावली खोले जाने का अंकन होगा।

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के बाद प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही

27– **मृतक की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त के प्रकरणों** के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः18/ए–1(5ए)2008 दिनांकः24.02.2008 में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देश के अनुसार मृतक आश्रित द्वारा आवेदन करने पर केवल विशेष परिस्थितियों में समय सीमा में छूट का 23 बिन्दुओं का प्रस्ताव पूर्व की भाँति पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेजा जायेगा। **चेकलिस्ट/प्रस्ताव के 23 बिन्दु** निम्नवत् हैं:–

1	मृतक कर्मचारी का नाम	————
2	मृतक कर्मचारी का पद	————
3	मृत्यु के समय तैनाती का विवरण	————
4	मृत्यु के समय कर्मचारी की आयु	वर्ष———माह———दिन———
5	मृत्यु का कारण, पूर्ण विवरण एवं संस्तुति सहित/मृतक कर्मचारी अवकाश पर था अथवा ड्यूटी पर? मृत्यु प्रमाण–पत्र सहित	————
6	क्या मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई?	————
7	क्या मृत्यु के समय कर्मचारी की पत्नी/पति किसी सेवायोजन में थे? यदि हाँ तो उसका विवरण	————
8	कर्मचारी के आश्रितों का नाम/सम्बन्ध	————
9	परिवार के अन्य आय के श्रोत/व्यवसाय/उपलब्ध भूमि का विवरण	————
10	कर्मचारी के आश्रितों को प्राप्त होने वाली पेंशन का विवरण (साधारण/असाधारण)	————
11	समस्त श्रोतों से परिवार की मासिक आय का विवरण	————
12	सेवायोजन हेतु आवेदक आश्रित का नाम व मृतक से सम्बन्ध	————

13	सेवायोजन हेतु आवेदित पद का नाम	—————— ——————
14	यदि कर्मचारी की पत्नी/पति को सेवायोजित नहीं किया गया तो उसका विवरण	—————— ——————
15	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन न प्रस्तुत करने का कारण, पूर्ण औचित्य सहित	—————— ——————
16	परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि परिवार के निर्वाह हेतु अभी भी शासकीय अनुकम्पा की आवश्यकता है?	—————— ——————
17	अब तक परिवार के निर्वाह की क्या व्यवस्था थी?	—————— ——————
18	समय–सीमा में छूट हेतु विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति, पूर्ण औचित्य सहित	—————— ——————
19	मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु सब प्रकार से अर्ह होने के उपरान्त प्रथम बार प्रार्थना पत्र देने की तिथि	——————
20	स्व0 कर्मचारी की जन्मतिथि स्व0 कर्मचारी की भर्ती की तिथि स्व0 कर्मचारी की मृत्यु की तिथि **(स्व0 कर्मचारी की चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जाय)**	—————— —————— ——————
21	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक मृतक आश्रित नियमावली–1974 के नियम–5 एवं 8 में उल्लिखित शर्तो का पालन करते हुए सेवायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों जैसे मृत्यु के समय से अब तक परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार प्रकार, परिवार की कृषि पर निर्भरता तथा मृतक आश्रित पर आने वाले दायित्वों एवं सभी श्रोतों से प्राप्त परिवार की आय (इन्कम) आदि का भी संज्ञान लेते हुए सेवायोजन के प्रत्यावेदन में विचार किया जाना चाहिए	—————— —————— —————— ——————
22	यह भी देखा जाय कि मृतक आश्रित द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण क्या रहा है? क्या यह औचित्यपूर्ण है?	—————— ——————
23	प्रकरण का परीक्षण करते हुए इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाय कि पारिवारिक दायित्वों के मद्देनजर कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने के दिनांक तक तंग/कमजोर बनी हुई थी?	

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

.....11

मृतक आश्रितों को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्वः–

28– पुलिस मुख्यालय द्वारा **"बारकोड"** युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी **"बारकोड"** एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूलरूप से प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

29– मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ–पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, दो' प्रतियों में लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ–पत्र की एक प्रति आश्रित की सेवायोजन पत्रावली पर रखी जायेगी। **(आश्रित से नियुक्ति के पूर्व लिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है)**

30– जनपदीय/अजनपदीय शाखाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में वे हैं, से नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेंगे।

31– मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे **"फुलस्केप पेपर"** पर संलग्न प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा। **(नियुक्ति आदेश का प्रारूप संलग्न है)**

32– इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि विगत वर्षों में कतिपय मृतक आश्रितों के फर्जी सेवायोजन के मामले प्रकाश में आने के फलस्वरूप शासन द्वारा शासनादेश संख्याः146/6–पु0–10/2008–1200(173)/07, दिनांकः24.01.2008 द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत चयन प्रकिया को और अधिक फुलप्रूफ बनाये जाने एवं, हर स्तर पर दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः **एस0आई0(एम)/आशुलिपिक तथा उपनिरीक्षक** के दक्षता मूल्यांकन कराने के पश्चात् **सफल** अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश सम्बन्धित जनपद/इकाई के परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के स्तर से पुलिस मुख्यालय के अनुमोदन आदेश निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

33– **पुलिस मुख्यालय द्वारा लिपिक संवर्ग** की पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही कराने के उपरान्त **सफल** मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व में की जा रही थी। वर्तमान में पुलिस विभाग में **लिपिक संवर्ग** में नियतन के सापेक्ष **अधिक कर्मी** नियुक्त हो जाने के कारण **मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है,** जो वर्तमान में लागू है।

34– मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने वाले पदों का विवरण एवं पदवार निर्धारित अर्हतायेंः–

क्र0 स0	पद	निर्धारित आयु	निर्धारित शिक्षा	शारीरिक मापदण्ड	दक्षता मूल्यांकन
1	उपनिरीक्षक	न्यूनतम आयु 21 वर्ष।	न्यूनतम स्नातक	शासनादेश संख्याः 1203/6–पु0–10–2000– 1200(8) /98 दिनांकः 01–05–2000 के अनुसार लम्बाई में 02 से0मी0 की छूट प्रदान करने के पश्चात पुरूष अभ्यर्थियों के लिये लम्बाई–166 से0मी0 सीना बिना फुलाये 79 से0मी0 सीना फुलाने पर 84 से0मी0 (नोट–सीने का फुलाव 05 से0मी0 आवश्यक है।) महिला अभ्यर्थियों के लिये लम्बाई–150 से0मी0 वजन–40 कि0ग्रा0	पुरूष अभ्यर्थियों के लिये 35 मिनट मे 4.8 कि0मी0 दौड़ पूर्ण करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिये 20 मिनट मे 2.4 कि0मी0 दौड़ पूर्ण करनी होगी।

2	आरक्षी	न्यूनतम आयु 18 वर्ष	न्यूनतम इण्टर मीडिएट	**शासनादेश संख्याः 1203/6–पु0–10–2000–1200 (8)/98 दिनांकः01–05–2000 के अनुसार लम्बाई में 02 से0मी0 की छूट प्रदान करने के पश्चात पुरूष अभ्यर्थियों के लिये** लम्बाई–166 **से0मी0** सीना बिना फुलाये 79 **से0मी0** सीना फुलाने पर 84 **से0मी0** (नोट–सीने का फुलाव 05 **से0मी0** आवश्यक है।) **महिला अभ्यर्थियों** के लिये लम्बाई–150 **से0मी0** वजन–40 कि0ग्रा0	**पुरूष अभ्यर्थियों** के लिये 35 मिनट मे 4.8 कि0मी0 दौड़ पूर्ण करनी होगी। **महिला अभ्यर्थियों** के लिये 20 मिनट मे 2.4 कि0मी0 दौड़ पूर्ण करनी होगी।
3	एस0आई0(एम) /आशुलिपिक	न्यूनतम आयु 18 वर्ष	न्यूनतम इण्टर मीडिएट	–	हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट।
4	चतुर्थ श्रेणी	न्यूनतम आयु 18 वर्ष	न्यूनतम कक्षा 05	–	–

35– किसी भी मृतक आश्रित को सर्वप्रथम उसी जनपद/इकाई में नियुक्ति प्रदान की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में आश्रित के स्व0 पिता/माता/पति/पत्नी आदि की मृत्यु हुयी, किन्तु यदि आश्रित महिला है और प्रकरण ऐसी इकाई का है जिसमें आरक्षी के समकक्ष पद पर महिला की भर्ती नहीं की जाती, ऐसी इकाई के प्रभारी निर्धारित बिन्दुओं पर प्रस्ताव तैयार कर अपने मुख्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को मूलरूप में उपलब्ध करायेंगे। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद रिक्तियों के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव को मृतक पुलिस कर्मी के नियुक्ति के स्थान के निकटतम रिक्ति के जनपद को अग्रसारित करेगा। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद जिस जनपद को प्रस्ताव अग्रसारित करेगा, उस जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त सभी प्रकार से संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित के पक्ष में नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

36– फर्जी प्रकरणों पर रोक लगाये जाने के उद्देश्य से मृतक आश्रित के सेवायोजन के उपरान्त उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक उसे किसी परिस्थिति में वहॉ से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, तथापि यदि किसी स्तर से उसका स्थानान्तरण हो जाता है, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई से उक्त आश्रित को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो तो इस सम्बन्ध मे पूर्ण विवरण प्रेषित कर पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिया जाये।

37– मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में मृतक आश्रित द्वारा मॉगे गये पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा विस्तृत नोट शीट पत्रावली पर तैयार की जायेगी जिस पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक सहित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी हस्ताक्षर बनायेंगे। **नोटशीट का प्रारूप पदवार संलग्न है।**

38– मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह परिपत्र कार्यालय की गार्ड फाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।

39– जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अजनपदीय इकाईयों के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जनपद/इकाई के निरीक्षण के समय मृतक आश्रितों के सेवायोजन से सम्बन्धित वरीयता रजिस्टर एवं स्थायी रजिस्टर तथा सेवायोजन से सम्बन्धित अभिलेखों को भी गम्भीरता से चेक किया जायेगा।

40– उपरोक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मृतक आश्रित नियमावली में विभिन्न प्रकार के संशोधन/सुझाव प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधन शासन से स्वीकृत होने पर सम्बन्धित को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

22/05/14

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिःविशेष सचिव(गृह),उत्तर प्रदेश शासन,गृह पुलिस अनुभाग–10, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिःपुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5– समस्त विशेष कार्याधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
6– अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–20, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद को पॉच प्रतियों में गजट कराने एवं गार्ड फाइल पर रखने हेतु।
7– समस्त अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8– समस्त गोपनीय सहायक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

प्रारूप – "क"

मृतक के आश्रित के सम्पूर्ण परिवार(आश्रित पत्नी, पुत्रियाँ तथा पुत्रों) द्वारा दिये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप

1– यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0....., निवासी–ग्राम–.....,पोस्ट–....., थाना–..... .....जिला–.....का/की निवासी/निवासिनी हूँ।

2– यह कि मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे पति/पिता/पत्नी स्व0.....पुलिस विभाग में (पद के नाम का उल्लेख करें) .....पद पर जनपद.....में थाना या कार्यालय.....में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक.....को..... (बीमारी/मुठभेड़ या अन्य कारण जो भी हो अंकित करें) हो चुकी है।

3– यह कि मेरे पति/पत्नी/पिता स्व0.....के कुटुम्ब में निम्नलिखित वयस्क/अवयस्क सदस्य हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	नाम	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	विवाहित/ अविवाहित	स्व0 कर्मी से संबंध

4– यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरी जन्मतिथि (हाईस्कूल सनद के अनुसार जो भी हो अंकित करें).....है। समस्त स्त्रोतों से प्राप्त की गयी मेरी मासिक आय रू0.....है तथा वार्षिक आय रू0.....है। मेरी शादी वर्ष .....मे हुई। मेरे पति/पत्नी का नाम ....है।

5– यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरे स्व0 पति/पत्नी/पिता के स्थान पर मृतक आश्रित सेवा नियमावली, 1974 के अन्तर्गत मेरे पुत्र/पुत्री/बहन/भाई (नाम) श्रीमती/श्री/कु0..... को पुलिस विभाग में पद.....पर सेवायोजित किया जाता है तो मुझे कोई एतराज नही है।

6– यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि (मृतक आश्रित का नाम). श्रीमती/श्री/कु0..... .....स्व0.....के वारिस है।

7– यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मृतक स्व0.....के स्थान पर अभी तक किसी को नौकरी नही दी गयी है।

8– यह कि मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य हैं यदि असत्य पाया गया तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।

9– यह कि उपरोक्त बयान हल्फी की धारा–1 से 8 तक मेरे निजी ज्ञान से सब सत्य है कुछ असत्य नही है एवं कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर

प्रारूप – "ख"

मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले शपथ–पत्र/सहमति पत्र, जिन्हें सेवायोजन दिलाना चाहते हों, का प्रारूप

1– यह कि मैं शपथी/शपथनी बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मेरा नाम..... पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0....., निवासी–ग्राम–.....,पोस्ट–....., थाना–..... तहसील.....जिला–.....का/की निवासी/निवासिनी हूँ और शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ।

2– यह कि शपथी/शपथनी जन्म से भारतीय नागरिक है।

3– यह कि शपथी/शपथनी के कुटुम्ब के निम्नलिखित सभी सदस्य (सबका नाम) मेरे पुत्र/पुत्री/भाई/बहन (नाम) .....को पुलिस विभाग के पद..... पर सेवायोजन कराना चाहते हैं।

4– यह कि शपथी/शपथनी के परिवार के किसी भी सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ पूर्व में या कभी प्रदान नहीं किया गया है।

5– यह कि **शपथी/शपथनी सहित परिवार के किसी भी सदस्य को** श्री/श्रीमती/कु0 ..... को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है। इनकी शैक्षिक योग्यता..... ..... है।

6– यह कि प्रमाणित किया जाता है कि शपथ–पत्र की धारा 1–5 तक मेरे निजी ज्ञान एवं अधिकार से सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर

सेवा में, पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना), उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

आवेदक का शपथ पत्र

नाम ------------------------------ उम्र लगभग ------------------ वर्ष --- पुत्र/पुत्री श्री

निवासी ------------------------------ थाना ------------------------ का शपथ पत्र।

मैं ------------------ उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता/ती हूँ:-

1- यह कि मैं स्व0 ------------- का पुत्र/पुत्री/पत्नी/अविवाहित/ विधवा पुत्री हूँ । जो मृत्यु से पूर्व उ0प्र0 पुलिस में------ पद ---------------------- स्थान पर कार्यरत थे ।

2 यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में -------------------- पद पर नियुक्ति हेतु जिला ------------------------ से एक मृतक आश्रित अभ्यर्थी हूँ । इस पद हेतु यदि मुझे अर्ह अथवा पद के सापेक्ष अपेक्षित योग्यता/कुशलता के न्यूनतम स्तर के अनुकूल नही पाया जाता तो मैं अन्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ ।

3. यह कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही कोई पुलिस विवेचना लम्बित है ।

4- यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनैतिक पार्टी का कभी सदस्य नही रहा हूँ और न हूँ ।

5- यह कि कभी मुझे अपराधिक मामले में गिरफ्तार नही किया गया है ।

6- यह कि मेरा कभी अपराधिक मामले में पुलिस में चालान नही किया गया है ।

7- यह कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात किसी भी समय असत्य पायी जाय अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दिया जाय तथा मुझे विधिक दण्ड दिया जाय ।

8- यह कि आवेदन पत्र भरने के दस वर्ष पूर्व तक किसी विध्वसंक कार्य में भाग नही लिया ।

9- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरूद्ध पंजीकृत हुए है या जिसमें मेरा चालान किया गया था जो मेरे विरूद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है उनका विवरण निम्नवत् है:-

10- यह कि यदि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी भी गलत पाये जाये तो कोर्स/सर्विस से तुरन्त पृथक कर दिया जावे तथा विधिक दण्ड दिया जाय ।

11- मैं ------------------------------ पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व0 श्री ------------------------------ प्रमाणित करता हूँ कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किसी नियंत्रित किसी निगम में कभी भी सेवा से पदच्युत नही किया गया/की गयी हूँ ।

(12) मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं हूँ ।

(13) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पिता/पति की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के किसी आश्रित को (जिसमें मैं भी शामिल हूँ) उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

मैं ..... उपयुक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर ..... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य अभिलेखों पर आधारित है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है, इस शपथ पत्र में उल्लिखित प्रस्तर ..... तथ्य विधि सलाह पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करता/करती हूँ कि वह भी सत्य है, इसकाकोई भी अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है । अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करें ।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

शपथ कर्ता/अभिसाक्षी का निशान-अंगूठा

******

आज दिनांक..... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला के प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया

अभिसाक्षी/शपथकर्ता ।

****

परिशिष्ट-"घ"

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मृत सरकारी सेवक के किसी आश्रित को मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 के अन्तर्गत कभी भी सेवायोजित नहीं किया गया है ।

यह मृतक स्व0----------के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ----------को पद----------पद सेवायोजित किए जाने का प्रथम प्रकरण है । यह प्रकरण सत्य है एवं मेरे द्वारा पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ।

दिनांक

(नाम एवं हस्ताक्षर)
(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

परिशिष्ट-"च"

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रारूप के कालम 1 से 36 तक अंकित सम्पूर्ण सूचनाओं का मेरे द्वारा भली भांति परीक्षण कर लिया गया है। अंकित सूचनाएं एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है एवं आवेदक मांगे गये पद की योग्यता रखता है तथा इस प्रकरण का कार्यालय में रखी रजिस्टर के क्रमांक---- पर अंकन कर दिया है ।

(नाम एवं हस्ताक्षर)
(वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नाम की मुहर लगाई जाय)

(नियुक्ति देने के पूर्व मृतक आश्रित से लिये जाने वाले शपथ-पत्र)

शपथ-पत्र का प्रारूप-2

शपथी का फोटोग्राफ नोटरी द्वारा प्रमाणित

नाम----------उम्र-----वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0 ----------
निवासी ग्राम ---------- पोस्ट ---------- थाना -------- जनपद--------
का शपथ-पत्र

मैं ----------उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता है:-

(1) यह कि शपथी द्वारा अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में जो सूचना/शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा प्रपत्र इत्यादि दिया गया है वह सही है।

(2) यह कि शपथी द्वारा सेवायोजन के सम्बन्ध में दिये गये मृतक कर्मी के सम्बन्ध मे नाम/पद/नियुक्ति का विवरण आदि सही है एवं वह मृतक का वास्तविक वारिस है।

(3) यह कि शपथी के परिवार में स्व0 कर्मी की मृत्यु के बाद किसी भी अन्य सदस्य द्वारा कभी भी मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ नहीं लिया गया है

(4) यह कि शपथ-पत्र के प्रस्तर- 1 से 3 तक में अकिंत कथन सत्य है तथा शपथी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली-1974 के अधीन जनपद/इकाई---------- स्व0---------- ----------के आश्रित ---------- का मृतक आश्रित के रूप में ----------के पद पर सेवायोजन हेतु शारीरिक नाप जोख विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई ---------- सेन्टीमीटर

सीने की नाप (पुरूष अभ्यर्थी के लिये)

सीना विना फुलाये----------
सीना फुलाने पर----------

मृतक आश्रित का वजन(महिला अभ्यर्थी के लिये)

वजन ---------- किलोग्राम में

हस्ताक्षर :-
नाम :-
पदनाम:-

प्रतिहस्ताक्षरित

(कार्यालयाध्यक्ष का नाम/
पदनाम की मुहर)

नियुक्ति आदेश का प्रारूप (चतुर्थ श्रेणी पद हेतु)

आदेश

स्व0.....(पदनाम सहित नाम) की दिनांक.....

.....को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी....., निवासी–ग्राम–.....

....., पोस्ट–....., थाना–....., जनपद–.....को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन चतुर्थ श्रेणी के पद पर अस्थायी रूप से जनपद/इकाई.....में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य वेतन रूपया..... दिया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।

नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम
नियुक्ति प्राधिकारी

कार्यालय का नाम.....
आदेश संख्या..... दिनांक:.....

प्रतिलिपि–प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन.....को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि–आंकिंक/चरित्र पंजिका लिपिक, पुलिस कार्यालय..... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री/कुमारी/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....

.....,निवासी–ग्राम–.....,पोस्ट–.....,थाना–.....

जनपद–.....को इस आशय से प्रेषित है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख, प्रमाण–पत्र इत्यादि एवं मेस एडवांस व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन.....में आगमन सुनिश्चित करें। घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

संख्या तथा दिनांक वही–

प्रतिलिपि–पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित परिक्षेत्र/इकाई..... को सूचनार्थ प्रेषित।

नियुक्ति आदेश का प्रारूप (कान्सटेबिल पद हेतु)

आदेश

स्व0.....(पदनाम सहित नाम) की दिनांक.....

.....को मृत्यु के उपरान्त आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी....., निवासी–ग्राम–.....

....., पोस्ट–....., थाना–....., जनपद–.....को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन कान्सटेबिल(रिक्रूट) के पद पर अस्थायी रूप से जनपद/इकाई.....

...में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य वेतन रूपया..... दिया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है। प्रतिसार निरीक्षक उक्त मृतक आश्रित अभ्यर्थी को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक प्रशिक्षण(जे0टी0सी0) कराना सुनिश्चित करें।

नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम
नियुक्ति प्राधिकारी

कार्यालय का नाम.....
आदेश संख्या..... दिनांक:.....

प्रतिलिपि–प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन.....को हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रकाशित/अंकन करने तथा उक्त अभ्यर्थी के भर्ती/प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण करने, जे0टी0सी0 कराने तथा किट देने हेतु प्रेषित। भर्ती से सम्बन्धित अभिलेख भली–भॉति अवलोकन करने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जो अवलोकनोपरान्त मूलरूप में इस कार्यालय को अभिलेख हेतु वापस प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–आंकिंक, पुलिस कार्यालय..... को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री/कुमारी/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व0.....

.....,निवासी–ग्राम–.....,पोस्ट–.....,थाना–.....

जनपद–.....को इस आशय से प्रेषित है कि वे आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपना समस्त शैक्षिक अभिलेख, प्रमाण–पत्र इत्यादि एवं मैस एडवांस व जाड़े व गर्मी के वस्त्र एवं बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन.....में आगमन सुनिश्चित करें। घर से नियुक्ति स्थान तक आने का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

संख्या तथा दिनांक वही–

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित परिक्षेत्र/इकाई..... को सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय

कृपया जनपद/इकाई..... के..... पद पर नियुक्त रहे स्व0 ..... के आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री ..... को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अन्तर्गत ..... के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक कमांक–( ) पर रखे प्रस्ताव का अवलोकन करें।

2– प्रश्नगत मामलें में अवगत कराना है कि स्व0 ..... की दिनांक ..... को मृत्यु हुई है। इनके आश्रित पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री ..... को उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अन्तर्गत ..... के पद पर सेवायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी पात्रता/अर्हता का विवरण निम्नवत् अंकित है:–

1. आश्रित का नाम.....
2. मृतक कर्मी का नाम.....
3. गृह जनपद/अस्थायी जनपद .....
4. मृत्यु के समय मृत कर्मी के नियुक्त का स्थान .....
5. मृतक कर्मी की भर्ती की तिथि .....
6. मृतक कर्मी की मृत्यु की तिथि .....
7. मृतक आश्रित की शिक्षा .....
8. मृतक आश्रित की जाति/उपजाति .....
9. मृतक आश्रित की जन्मतिथि .....
10. मृतक आश्रित का मृतक कर्मी से सम्बन्ध .....
11. उँचाई .....से0मी0
12. सीने की माप बिना फुलाये– .....से0मी0
13. सीने की माप फुलाने पर– .....से0मी0
14. प्रतिसार निरीक्षक द्वारा प्रदत्त नाप जोख का प्रमाण पत्र कमांक .....
15. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र कमांक .....
16. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र कमांक .....
17. आश्रित के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र कमांक .....
18. शैक्षिक प्रमाण–पत्र की सत्यापन आख्या कमांक .....
19. आश्रित के सम्बन्ध में उसके गृह जनपद/अस्थायी जनपद/अभिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिया गया चरित्र एवं आचरण की सत्यापन रिपोर्ट कमां .....
20. गृह जनपद से करायी गयी क्षेत्राधिकारी की जांच आख्या कमांक .....
21. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया शपथ पत्र कमांक .....
22. मृतक आश्रित द्वारा दिया गया प्रथम प्रार्थना पत्र कमांक .....
23. स्व0 कर्मी के पति/पत्नी/अन्य सदस्यों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि वह किसे सेवायोजन का लाभ दिलाना चाहतें हैं कमांक .....
24. स्व0 कर्मी के पारिवारिक सदस्यों की प्रमाणित सूची कमांक .....
25. स्व0 कर्मी के किसी भी मृतक आश्रित को सेवायोजन का लाभ नही दिया गया है और सेवायोजन का प्रथम प्रकरण होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र " घ " कमांक .....
26. स्व0 कर्मी के मृतक आश्रित में भेजा गया सेवायोजन प्रस्ताव सत्य होने व उसका जनपद मे रखे गये स्थायी

27. पीपीओ निर्गत हुआ है अथवा नहीं यदि हां तो कमांक .....

28. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सेवायोजन प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन का प्रमाण–पत्र कमांक .....

29. पेंशन अनुभाग की आख्या कमांक .....

30. चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति कमांक .....

3– गृह जनपद के पुलिस उपाधीक्षक से कराई गयी जांच आख्या दिनांकित..... तथा आश्रित द्वारा दिये गये शपथ पत्र से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के अन्तर्गत पारिभाषित परिभाषा के अनुसार स्व0 पुलिस कर्मी के आश्रित की श्रेणी में आता है तथा इस मृत पुलिस कर्मी के किसी आश्रित को अब तक नियमावली का लाभ देते हुए सेवायोजन प्रदान नहीं किया गया है।

4– उक्त मृतक आश्रित श्री ..... पुत्र स्व0 ..... हाई स्कूल, इण्टर/स्नातक की शिक्षा का सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय से करा लिया गया है, उनकी प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त मृतक आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें उनके कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार ही जारी की गयी हैं।

5– शासन ने शासनादेश संख्याः 146/छः–पु0–10–2008–1200(173)/2007 दिनांक 24–1–2008 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की नियमावली–1974 के अर्न्तगत चयन प्रकिया को फूलप्रुफ बनाये जाने के निर्देश दिये गये है जिसके लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्याः18/ए–1(5)/ 2008 दिनांक 24–2–2008 निर्गत कर दिया गया है।

6–. कृपया रिट याचिका संख्याः11505/2006 अवनीश कुमार बनाम राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फर्जी मृतक आश्रितों के प्रकरणों को संज्ञान में लेकर अपने आदेश दिनांक 21.4.2006 में निम्न 04 बिन्दुओं पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन प्रकरणों की जाँच के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के दृष्टिगत जनपद..... .....से स्व0..... के आश्रित..... के प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों से निम्नवत् परीक्षण किया गयाः–

क0सं0	विवरण	निष्कर्ष	पुष्टि के समर्थन में अभिलेख
1	आश्रित के माता/पिता/पति पुलिस विभाग में नियुक्त रहें अथवा नहीं?	1– अभिलेखानुसार स्व0 कर्मी की मृत्यु दिनांक..... को जनपद/इकाई ..... में हुई है। 2–कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है इसकी पेंशन भुगतानादेश जनपद .....से निर्गत किया गया है। जनपद के पेंशन भुगतानादेश के अनुसार दिनांक ..... के अनुसार स्व0कर्मी की मृत्यु दिनांक..... को जनपद ....में हुई है।	1– पत्रावली का कमांक–( ) 2–कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है इसकी पेंशन जिला से निर्गत की गयी है पेंशन भुगतानादेश जनपद ..... की आख्या दिनांक ..... पत्रावली का कमांक–( )
2	मृतक आश्रित के माता/पिता/पति जीवित है अथवा नहीं?	1–स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण–पत्र 2–क्षेत्राधिकारी/कार्यालय द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन का प्रमाण–पत्र 3–पेंशन अनुभाग की आख्या	1–स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण–पत्र पत्रावली का कमांक..... 2–भौतिक सत्यापन का प्रमाण–पत्र पत्रावली का कमांक..... 3–पेंशन अनुभाग की आख्या पत्रावली का कमांक .....

3	मृतक कर्मी के एक से अधिक आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिया गया है अथवा नहीं?	1–जनपद.....के क्षेत्राधिकारी..... श्री..... द्वारा दिनांक..... को परीक्षण के फलस्वरूप भौतिक सत्यापन प्रमाण–पत्र 2–वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक..... द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र–घ	1–क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण–पत्र पत्रावली का कमांक ..... 2–वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र–घ पत्रावली का कमांक ..... 3–स्थायी/अस्थायी निवास के क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी गयी जॉच आख्या पत्रावली का कमांक ..... 4–चरित्र पंजिका का प्रथम पृष्ठ .....
4–	मृतक आश्रित द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रमाण पत्र सही है अथवा नही?	1–क्षेत्राधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक.....से पुष्टि है। 2–शैक्षिक प्रमाण–पत्र का सत्यापन वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक ..... द्वारा कराया गया है	1–क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिया गया भौतिक सत्यापन प्रमाण–पत्र पत्रावली का कमांक ..... 2–(क)माध्यमिक शिक्षा परिषद की सत्यापन आख्या पत्रावली का कमाक ..... (ख) विश्वविद्यालय की सत्यापन आख्या पत्रावली का कमांक..... (ग) जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सत्यापन आख्या पत्रावली का कमाक.....

7– उपर्युक्तानुसार प्रकरण के परीक्षण से तथा उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर पाया गया है कि स्व0 ..... की मृत्यु जनपद ..... मे ..... के पद पर नियुक्ति के दौरान दिनांक.....को हुई । तथा इसी जनपद के क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय श्री..... द्वारा सेवायोजन का भौतिक सत्यापन दिनांक.....को किया गया है।

8–. मृतक आश्रित श्री/कु0/श्रीमती ..... द्वारा सेवायोजन हेतु प्रथम बार दिनांक ..... को प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह प्रकरण पॉच वर्ष की समय सीमा के अर्न्तगत है।

9–. यदि मान्य हो तो स्व0..... के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... को ..... के पद पर रिक्त पदों के सापेक्ष सेवायोजित किये जाने हेतु अनुमोदित करें, ताकि आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश निर्गत किया जा सके तथा निर्गत आदेश की एक प्रति प्रतिसार निरीक्षक को उपलब्ध कराकर हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने हेतु निर्देशित कर दिया जाय ।

आदेशार्थ प्रस्तुत।